कार्यालय अपर जिलाधिकारी (भू0अ0), ग्रेटर नौएडा, गौतमबुद्धनगर।

(भूमि अध्याप्ति कार्यालय)
गुलमोहर कमर्शियल मार्केट, बीटा-1, ग्रेटर नौएडा, गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक 202. /आठ-अ0जि0अ0(भू0अ0)/यमुना एक्सप्रेस-वे/गौतमबुद्धनगर दिनांक 11../07/2018

जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी,
कलेक्ट्रेट सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

विषयः— **जेवर एयरपोर्ट हेतु प्रभावित भू—स्वामियों से सहमति अभिप्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर के आदेश संख्या—201/आठ—अ0जि0अ0(भू0अ0)/यमुना एक्सप्रेस—वे/गौतमबुद्धनगर दिनाँक 11.07.2018 द्वारा जनपद गौतमबुद्धनगर के जेवर में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड अर्न्तराष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण हेतु प्रस्तावित 8 ग्रामों की भूमि के अर्जन से पूर्व भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा—2(2) के कम में नियमावली—2016 के नियम—14 के अर्न्तगत अर्जन से **प्रभावित भू—स्वामियों से सहमति प्राप्त किए जाने हेतु श्री शैलेन्द्र कुमार भाटिया, विशेष कार्याधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर को नोडल अधिकारी नामित** किया गया है।

अतः जिलाधिकारी महोदय के आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आदेश की प्रति को जनपद की वेबसाईट पर जेवर नामक पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः— यथोक्त।

(राकेश चन्द्र शर्मा)
अपर जिलाधिकारी (भू0अ0)
गौतमबुद्धनगर।

E:\HEMANT-2018\Jevar Airport\Letters Airport Jevar.docx

कार्यालय जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक /आठ-अ0जि0अ0(भू0अ0)/ग्रेटर नौएडा/गौतमबुद्ध नगर दिनांक .../07/2018

कार्यालय–ज्ञाप

जनपद गौतमबुद्धनगर के जेवर में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण हेतु प्रस्तावित 8 ग्रामों की भूमि के अर्जन से पूर्व भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–2(2) के कम में नियमावली–2016 के नियम–14 के अर्न्तगत अर्जन से **प्रभावित भू–स्वामियों से सहमति प्राप्त किए जाने हेतु श्री शैलेन्द्र कुमार भाटिया, विशेष कार्याधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर को नोडल अधिकारी नामित** किया जाता है।

श्री शैलेन्द्र कुमार भाटिया, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 एवं नियमावली–2016 में निहित प्रकिया के अनुसार उप जिलाधिकारी, जेवर के समन्वय से उपरोक्त कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे।

(बी0एन0 सिंह)
जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर

पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव (राजस्व), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. आयुक्त, मेरठ मंडल, मेरठ।
5. रजिस्ट्रार, गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नौएडा।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रैस–वे प्राधिकरण।
7. निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. अपर जिलाधिकारी(भू0अ0), गौतमबुद्धनगर।
9. श्री शैलेन्द्र कुमार भाटिया, विशेष कार्याधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को अनुपालनार्थ।
10. उप–जिलाधिकारी, जेवर।

जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर